

# पहल

ई-समाचार पत्र (मासिक) – संतावनवां संस्करण (माह जुलाई, 2020)

→ “पहल” के इस संस्करण में .....

1. अपनी बात ....
2. संस्थान के संचालक महोदय की अध्यक्षता में वीडियो कॉफ्रेसिंग का आयोजन
3. कोविड-19 के समय बच्चों की देखभाल करने में जनप्रतिनिधि की भूमिका
4. प्र.मं.अ.यो.(ग्रा.) की सफलता की कहानी
5. ग्रामीण विकास की तदबीर से बनी तकदीर
6. लॉकडाउन में ग्रामीण मजदूरों को मिला काम
7. गौशाला आई पशुओं की खुशहाली लाई
8. मिट्टी बर्तन उद्योग ने महिलाओं को भी बनाया स्वाबलंबी
9. आपदा प्रबंधन (आपदा के प्रकार)
10. मास्क एवं सेनिटाइजर के उपयोग में सावधानियां
11. कोरोना संक्रमण से बचते हुये ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के अवसर – चुनौतियां व संभावनाएं
12. कोविड-19 संक्रमण रोकने एवं बचाव
13. प्रवासी कामगारों हेतु रोजगार के अवसर
14. मास्टर रिसोर्स परसन द्वारा योग शिविर का आयोजन
15. पलायन से लौटने वाले पीड़ित ग्रामीण कामगारों को पहुँचाई गई मदद
16. आपदा प्रबंधन में पंचायत की भूमिका
17. मास्टर रिसोर्स परसन टीम द्वारा कोरोना योद्धाओं का किया स्वागत एवं सम्मान



## प्रकाशन समिति

### संरक्षक एवं सलाहकार

श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव (IAS)  
अपर मुख्य सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

### प्रधान संपादक

श्री संजय कुमार सराफ,  
संचालक,  
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास  
एवं पंचायतराज संस्थान—म.प्र., जबलपुर

### सह संपादक

श्रीमती सुनीता चौधे,  
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.प.रा.स.—म.प्र., जबलपुर



ई-न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें—mgsirdpahal@gmail.com  
Our official Website : [www.mgsird.org](http://www.mgsird.org), Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870

Designed & Developed By : Mr. Jay Shrivastava & Mr. Ashish Dubey, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR





## अपनी बात...



“पहल” मासिक ई-च्यूज लेटर का संतावनवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2020 का सातवां मासिक संस्करण है।

वर्तमान में भारत वर्ष में अनलॉक-1 को अर्थव्यवस्था को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से पूर्व में लागू नियमों को शिथिल करते हुये बाजारों, दुकानों, शॉपिंग माल, उद्योगों, कार्यालयों आदि को खोले जाने के साथ लागू किया गया है।

दिनांक 19 जून 2020 को वैश्विक महामारी कोरोना के चलते “डिजीटल प्लेटफार्म” का उपयोग करते हुये संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज—म.प्र., जबलपुर की अध्यक्षता समस्त अनुसांगीक क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, नौगांव एवं सिवनी के प्राचार्यों एवं संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्रों के अधिकारी/संकाय सदस्य/प्रोग्रामर (जिला नोडल अधिकारी) से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण अंतर्गत चल रहे राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण, संस्थागत प्रशिक्षणों, स्थापना एवं ई-च्यूज लेटर “पहल” आदि विषयों पर समीक्षा/बातचीत की गई। जिसे “संस्थान के संचालक महोदय की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेसिंग का आयोजन” समाचार आलेख के रूप में इस संस्करण में शामिल किया गया है।

इसके अलावा “कोरोना वायरस (कोविड19) के समय बच्चों की देखभाल करने में जनप्रतिनिधि की भूमिका”, “प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) की सफलता की कहानी”, “ग्रामीण विकास की तदबीर से बनी बुद्धा और किशन की तकदीर”, “लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण मजदूरों को मिला काम”, “गौशाला आई पशुओं की खुशहाली लाई”, “मिट्टी बर्तन उघोग को किया पुनर्जीवित 50 महिलाओं को भी बनाया स्वाबलंबी”, “आपदा प्रबंधन (आपदा के प्रकार)”, “कोरोना से बदली जीवन शैली में मास्क एवं सेनिटाइजर के उपयोग में सावधानियां”, “कोरोना (COVID-19) संक्रमण से बचते हुये ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के अवसर – चुनौतियां व संभावनाएं”, “सफलता की कहानी – कोविड-19 संक्रमण रोकने एवं बचाव”, “प्रवासी कामगारों हेतु रोजगार के अवसर”, “मास्टर रिसोर्स परसन द्वारा योग शिविर का आयोजन”, “श्री नीलकमल सिंह राजपूत, सरपंच—कोरोना योद्धा पलायन से लौटने वाले पीड़ित ग्रामीण कामगारों को पहुँचाई गई मदद”, “आपदा प्रबंधन में पंचायत की भूमिका” एवं “मास्टर रिसोर्स परसन टीम द्वारा कोरोना योद्धाओं का किया स्वागत एवं सम्मान” आदि आलेखों को शामिल किया गया है।


मुझे पूर्ण भरोसा है कि ‘पहल’ का यह संस्करण अत्यंत रुचिकर एवं उपयोगी एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला रहेगा।

**शुभकामनाओं सहित।**

**संजय कुमार सराफ  
संचालक**



## संस्थान के संचालक महोदय की अध्यक्षता में वीडियो कॉफ्रेसिंग का आयोजन



दिनांक 19.06.2020 को श्री संजय कुमार सराफ, संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज—म.प्र., जबलपुर की अध्यक्षता में

कोविड-19 के चलते सभी अनुसांगिक क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रावलियर, नौगांव एवं सिवनी के प्राचार्यों से वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण अंतर्गत चल रहे राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण, संस्थागत प्रशिक्षणों, स्थापना एवं ई—न्यूज लेटर “पहल” आदि विषयों पर समीक्षा की गई।

उक्त बैठक में संचालक महोदय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण अंतर्गत चल रहे राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण में प्रगतिरत प्रशिक्षणों को शीघ्र पूर्ण करवाने, उत्तीर्ण राजमिस्त्रियों के सर्टाफिकेट को शीघ्र वितरित करने, शेष अपलोडिंग कार्य को पूर्ण करने एवं कोविड-19 वैशिक महामारी के कारण शेष

राजमिस्त्रियों के मूल्यांकन की कार्यवाही को एक सप्ताह के अंदर पुनः प्रारंभ कराने के निर्देश दिये गये।

साथ ही संस्थागत प्रशिक्षणों, स्थापना/बजट एवं ई—न्यूज लेटर “पहल” आदि विषयों पर भी संचालक महोदय द्वारा समीक्षा की गई।

उक्त वीडियो कॉफ्रेसिंग में कुल 62 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें संस्थान के सभी उपसंचालक, अधिकारीगण, संकाय सदस्य एवं प्रोग्रामर (जिला नोडल अधिकारी) के साथ—साथ 6 क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों के सहायक संचालक, अधिकारीगण, संकाय सदस्य एवं प्रोग्रामर (जिला नोडल अधिकारी) उपस्थित रहे।

**जय कुमार श्रीवास्तव  
प्रोग्रामर**



## कोरोना वायरस (कोविड19) के समय बच्चों की देखभाल करने में जनप्रतिनिधि की भूमिका

वर्तमान में कोरोना वायरस रोग ने जनसमुदाय के भीतर चिंता और कुछ हद तक घबराहट पैदा की है। इस लिये जन प्रतिनिधियों के लिये ये जानना बहुत जरूरी है कि वे बच्चों की सुरक्षा के लिये क्या कर सकते हैं अतः जहां बच्चे रहते हैं उन स्थानों पर बच्चों की मनोवैज्ञानिक देखभाल कैसे की जाये ताकि



बच्चों के व्यक्तित्व पर इस महामारी के दुष्परिणाम न आयें क्योंकि महामारी के दौरान तनाव, शोक चिन्ता महसूस करना स्वाभाविक है। बच्चों के अन्दर अपने परिवार से घनिष्ठ भावनात्मक जुड़ाव के कारण अपने स्वयं के स्वास्थ्य एवं परिजनों के स्वास्थ्य के बारे में भय की स्थिति पैदा हो रही हैं आज की डिजीटल दुनिया में बच्चे सोशल मीडिया और डिजीटल प्लेटफार्म के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं और समाचारों का उपयोग करते हैं उनमें से कुछ तत्त्वात्मक रूप से सच नहीं होते परन्तु उन सूचनाओं से उनके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता हैं और वे तनाव ग्रस्त हो सकते हैं ये तब और बढ़ जाता है जब बच्चे बाहर जाने, खेलने, स्कूल जाने या स्वतन्त्र

रूप से बातचीत करने के अवसर नहीं मिलते तथा परिवार के लोग भी स्वयं भयभीत होने के कारण बच्चों के साथ भयमुक्त वातावरण बनाने में सक्षम नहीं होते उन परिवारों में हिंसा और दुव्यवहार का खतरा और बढ़ जाता है अतः जब वयस्कों एवं बच्चों में तनाव का स्तर बढ़ता हैं तो लिंग आधारित हिंसा और बच्चों के खिलाफ हिंसा अनेक रूपों में सामने आती है।

अतः प्रत्येक जनप्रतिनिधि जो स्वयं माता पिता की भूमिका में है और उनके आसपास ऐसे परिवार रहते हों जहां 18 साल तक के बच्चे हों उन्हे इसकी जानकारी होना जरूरी है ताकि बच्चों की शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में उनका सहयोग कर सकें।

### माता पिता या देखभाल करने वाले के रूप में भूमिका

एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना जहां बच्चों बड़े हो सकें और अपनी पूरी क्षमता को विकसित कर सकें साथ ही आनन्दित और सुरक्षित रहे कोरोना वायरस के परिणम स्वरूप परिवार के सभी सदस्य पूरा समय घर पर है यह एक मौका है आपस में समय बिताने का, साथ में सीखने, विचारों को साझा करने, चुनोतिया को जानने एवं एक दूसरे की मदद करने का। परन्तु सभी इस स्थिति से जुड़े सवाल एवं चिन्ताओं से भी ग्रसित हैं जैसे घर के अन्दर बंद रहना, दोस्तों से न मिल पाना बाहर न जा पाने के





कारण बच्चे और बड़े सभी ऊब गये हैं इससे घर में तनाव पैदा हो रहा है इस लिये बेहद जरुरी हैं कि बच्चों साथ संवेदनशील और सावधानीपूर्वक व्यवहार करें ताकि बच्चे खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें।

अक्सर सदमें के समय में छोटे बच्चों की सहायता के लिये सेवाओं को प्राथमिकता नहीं दी जाती और अनदेखी की जाती है जिसका प्रभाव बच्चों पर प्रतिकूल पड़ता है।

**अतः ध्यान दें कि –**

1, बच्चों के साथ प्यार और सम्मान पूर्वक व्यवहार करें बच्चों के साथ समय बितायें उनकी दिक्कतों और

चन्ताओं को सुने , उनसे बात करें । जो गतिविधियां बच्चे करते हो उनका हिस्सा बनिये जैसे पढ़ना , फ़िल्म देखना, चित्र बनाना, पेटिंग करना आदि में उनका साथ दीजिये । बच्चों के साथ किसी भी तरह का हिंसक व्यवहार जैसे चीखने, अपमान जनक शब्दों का प्रयोग, थप्पड़ मारना या पिटाई करना आदि से बचें।

2, वर्तमान स्थिति में बच्चे तथा बच्चियां घर के आसपास सड़कों और सुनसान गलियों में टहलन के लिये निकल सकते हैं ऐसे में बच्चों का शोषण करने वाले या लैंगिक शोषण करने वाले लोग अपहरण या लैंगिक शोषण का प्रयास कर सकते हैं ऐसे व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखें आवश्यकता पड़ने पर पुलिस को सूचित करें ।

3, संक्रमित और क्वरेन्टाइन में रखे गये परिवारों और बच्चों के साथ भेद भाव और उनका बहिष्कार न करें बल्कि उनसे मिलने से बचना चाहिये लेकिन उनकी सलामती के बारे में हमें जानकारी लेते रहना चाहिये आप उनसे फोन पर भी बात कर सकते हैं

4, जनप्रतिनिधियों और समुदाय के अन्य लोगों को घर के अन्दर या सार्वजनिक जगहों के बच्चों के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के शोषण विशेषकर लैंगिक शोषण के प्रति सर्तक रहना चाहिये और उसका विरोध करना चाहिये ऐसा हो सकता है कि कोई मुश्किल समय के दौरान किसी सहायता या सेवा के बदले लैंगिक शोषण करने की कोशिश करे। बड़े बच्चों खासकर लड़कियों का काम करने के लिये ,परिवार



की सहायता करने के लिये, भीख मांगने के लिये मजबूर किया जा सकता हैं ऐसे किसी भी मामले की सूचना पुलिस या संबंधित अधिकारी को तुरन्त दें।

5, बच्चे इन्टरनेट , मोबाइल फोन या कम्प्यूटर पर ज्यादा समय बिता सकते हैं उन पर नजर रखें ताकि इन्टरनेट पर बच्चों को बहकाने और शोषण करने वाले लोगों के चुंगल में न फसें साथ ही ये कोशिश करें कि बच्चे इन्टरनेट के जरिये सीमित समय बितायें

प्राणायाम तनाव को कम करने एवं बच्चों की उर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिये सहायक होंगे ।

यह हम सभी के लिये एक कठिन समय है अतः आवश्यक है कि पंचायत राज के प्रत्येक स्तर पर सभी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में इनका मनोबल बढ़ाने एवं उन्हे उचित मार्गदर्शन देने के प्रति संवेदनशील हों। क्योंकि आज जो पौधे रूप में बच्चे हमारे बीच में हैं यही कल सभ्य समाज के निर्माण में सहयोगी बनेंगे



अक्सर देखा गया है कि बच्चे रात रात भर पबजी जैसे खेलों को खेलते हैं जिसका परिणाम मानसिक अवसाद के रूप में बच्चों में दिखता है। इस समय यह बेहतर होगा कि 20 से 25 मिनट का योग ध्यान का सत्र बच्चों के साथ अवश्य किया जाये एक साधारण नाड़ी शोधन प्रणायाम कराया जा सकता हैं जिसमें 3 गिनती तक सांस लेना तथा 3 गिनती तक सांस को रोकना तथा 3 गिनती तक सांस को बाहर छोड़ना होता है। दूसरा अनुलोम विलोम प्रणायाम भी किया जा सकता है ये दोनों

अतः इन्हे सब प्रकार से सुरक्षित रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी हैं ।

बच्चों से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता और परामर्श हेतु 8889983062 / 620569158 या चाइल्ड लाइन 1098 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

**श्रीमती अर्चना कुलश्रेष्ठ,  
व्याख्याता**



## प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) की सफलता की कहानी

जन्म से ही ग्राम में निवासरत हितग्राही श्री करीम खॉ अब्दुल खॉ ग्राम मुंदवाडा, जनपद पंचायत खण्डवा जिला पूर्व निमाड खण्डवा के निवासी हैं, जो कृषि मजदूरी एवं अन्य मजदूरी कार्य करते हैं।

वर्तमान में छत वाले पक्के मकान में निवास कर परिवार सहित बहुत अच्छा उन्हे लग रहा है। पुराने जर्जर मकान में निवास कर वर्षा के दिनों में उनका मकान गलने के कारण रात भर परिवार सो नहीं पाता था आज पक्के मकान में निवास करने पर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है लेकिन वर्ष 2018–19 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण उसके लिए सौगात लेकर आई। उसके द्वारा ग्राम पंचायत को बैंक का खाता नंबर/आधार नं/जॉबकार्ड दिया गया। उसके बाद नर्मदा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा सिहाडा बैंक से चार

किश्तों में प्रथम किश्त 25000/-रु, द्वितीय किश्त 40000/- रु, तृतीय किश्त 40000/-रु एवं चतुर्थ किश्त 15000/-रु, कुल 120000/- की राशि प्राप्त कर उसका सदुपयोग कर शासन के दिशा निर्देशानुसार 2 रुम का पक्का मकान एवं किचन बना लिया गया। आज वह एवं उसका परिवार पक्के आवास में निवास कर रहा है।



बैंक से चार किश्तों के अलावा उसके परिवार को जॉबकार्ड से भी परिवार के सदस्यों द्वारा स्वयं मजदूरी कर 15480/- रु प्राप्त हुए हैं। मकान निर्माण में उसका परिवार तथा 12000/- रु का शौचालय का लाभ भी उसे मिला है। आवेदक आवास निर्माण पूर्ण होने के बाद कृषि का कार्य करने से उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है तथा उसका परिवार खुशहाल है।

चंद्रपाल सिंह चौहान,  
संकाय सदस्य



## ग्रामीण विकास की तदबीर से बनी बुद्धा और किशन की तकदीर



बडवानी जिले की जनपद पंचायत पानसेमल की ग्राम पंचायत आमद्विरी का आश्रित ग्राम आमला पानी जो एक सुदूर और दुर्गम वन ग्राम है, यहां दो भाई बुद्धा और किशन अत्यंत निर्धनता में जीवन यापन कर रहे थे, यहां वहां थोड़ी बहुत मजदूरी मिलने पर किसी तरह गुजर बसर हो रही थी। परिवार के कब्जे में वन भूमि थी जिसका रकबा लगभग 2.835 हेक्टेयर था, शासन की ओर से कई पीढ़ियों से वन भूमि पर काबिज निर्धन आदिवासियों को वन भूमि के वन अधिकार पत्र प्राप्त होने लगे तब बुद्ध सिंह और किशन ने भी यह सोचा कि हम भी अपने पूर्वजों की जमीन को आवेदन करके प्राप्त करें, इसके लिए उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत के सरपंच विनोद पटेल सचिव मोहन सोनी और सहायक सचिव जितेश बागुल से संपर्क किया, ग्राम पंचायत के द्वारा तत्काल ही सकारात्मक रुख दिखाते हुए दोनों भाइयों को वन अधिकार पत्र आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया समझाई गई और सभी अभिलेख इकट्ठे कराकर आवेदन कराया गया, अंततः बुद्धा और किशन को संयुक्त रूप से वन अधिकार पत्र प्राप्त हो गया, दोनों भाई मिलकर दिन रात मेहनत कर रहे थे लेकिन अब भी कमी थी तो सिंचाई के साधन की। दोनों भाई वनाधिकार पत्र प्राप्त करने के बाद से निरंतर ग्राम पंचायत आमद्विरी के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक से सतत संपर्क में भी थे। इनका परिश्रम देखकर सरपंच विनोद पटेल, सचिव मोहन सोनी और सहायक सचिव जीतेश बागुल ने वर्ष 2016– 17 में इनकी भूमि पर मनरेगा अंतर्गत 2.30 लाख का कपिलधारा कूप स्वीकृत किया, 25 फुट

खोदते ही पानी निकला और इनकी भूमि सिंचित हो गई। इसी क्रम में ग्राम पंचायत ने एक कदम आगे बढ़कर वर्ष 2017–18 में मनरेगा अंतर्गत खेत की मेड़ पर 200 पौधों की परियोजना स्वीकृत की जिसकी लागत 1.7 लाख थी। इस परियोजना में 130 आम के पौधे, 45 बांस के पौधे, साथ ही आंवला, रामफल, जामफल इत्यादि पौधे लगाए गए। कृषक परिवार द्वारा मेहनत से सिंचाई करते हुए इन पौधों का रक्षण किया गया। आज यह परियोजना पूरी तरह सफल है और फलदार वृक्ष निरंतर गति पूर्वक बढ़ते ले रहे हैं, साथ ही शेष बची भूमि पर दोनों भाई मक्का, बाजरा, ज्वार आदि फसल उगा कर लाभ प्राप्त कर रहे हैं, ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018–19 में बुद्धा और किशन को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया, साथ ही स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत शौचालय भी दिया गया, अब शीघ्र ही आदिवासी उपयोजना अंतर्गत सिंचाई हेतु सोलर पंप की स्वीकृति भी कराई जा रही है, जिससे पूरी भूमि पर अच्छी तरह सिंचाई की जा सके। आज दोनों भाई अपने परिवारों के साथ बहुत खुश हैं, न केवल इनका जीवन स्तर सुधार रहा है, बल्कि दूसरों की भूमि पर मजदूरी करने की बजाय वे स्वयं के मालिकाना हक की भूमि पर फसल लेने के साथ ही फलदार वृक्ष भी पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं जिससे इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर आय प्राप्त होती रहेगी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन और हितग्राहियों को लाभान्वित करने में जनपद पंचायत पानसेमल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सौरभ सिंह राठौड़ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है तथा उनके अथक परिश्रम से निर्धन आदिवासी भाइयों के परिवार निरंतर समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं।

चंद्रेश कुमार लाड  
संकाय सदस्य



## लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण मजदूरों को मिला काम

### ग्राम पंचायत कर्मियों की रही सक्रिय भूमिका

लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को कैसे काम दिया जाये ये सभी राज्यों की चुनौती थी। मध्यप्रदेश राज्य ने इसका हल मनरेगा के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों को रोजगार देना आरंभ किया। माहमई मे सिवनी जिले में 80623 मजदूर कार्यरत रहे।



लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेसिंग एवं मास्क लगाकर काम करे यह निर्देश के साथ मनरेगा के विभिन्न गतिविधियों के कार्य 8 जनपद पंचायतों में प्रारंभ किये गये। लॉकडाउन में जनपद पंचायत सिवनी के अंतर्गत ग्राम पंचायत हथनापुर ने सोशल डिस्टेसिंग कैसे करे इसके लिए पंचायत भवन के सामने गोला बनाकर लोगों को समझाया गया कि भीड़ न करे, एक जगह एकत्रित न हो। हथनापुर ग्राम पंचायत सचिव दिलीप सनोडिया ने गांव में मास्क वितरित कर, लोगों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की समझाई दी गई। साथ ही गांव में मनरेगा के अंतर्गत सशर्त 70 मजदूरों को परकोलेशन टेंक निर्माण में काम देकर कार्य प्रारंभ किया गया।



व गांव को सेनेटाईज किया गयातथा ग्राम पंचायत सुकवाह के कार्यालय में गोला बनाकर गांव के लोगों को सोशल डिस्टेसिंग को समझाया गया। निश्चित ही मनरेगा के काम चालू होने पर गांव के मजदूरों को रोजगार मिला ग्राम पंचायत के गांवों को सेनेटाईज कर कारोना वायरस के संक्रमण रोकना निश्चित ही ग्राम पंचायत की भूमिका सराहनीय रही। सभी जिलों में मनरेगा के हितग्राही मूलक एवं जल संरक्षण संवर्धन के कार्य प्रारंभ किये जाना चाहिये। लाकडाउन में सशर्त अर्थात् सोशल डिस्टेसिंग एवं मास्क लगाकर मजदूर कार्य करे। जिन पंचायतों में मनरेगा के अंतर्गत कार्य प्रारंभ हुये वहां पंचायत कर्मियों की सक्रिय भूमिका रही।

सी.के. चौबे,  
संकाय सदस्य



## गौशाला आई पशुओं की खुशहाली लाई



हमारे देश में भी एक विडम्बना है कि दिन व दिन पशुओं की स्थिति दयनीय होती जा रही है। कई जगह पशुओं का आवारा फिरना, उनकी देखभाल न होना उनकी स्वास्थ्य का उपचार समय पर न होना कई लोग अपने स्वार्थ के लिए पशुओं को पालने के बाद भी बाहर छोड़ आते हैं। जिसके कारण पशुओं की बहुत दूर्दशा होती है। पशुओं की उचित व्यवस्था न होने पर ही आज धीरे धीरे विलुप्तता की ओर इनकी संख्या बढ़ रही है।

इसी कड़ी में अगर हम बात करे गए जैसे पशु की। जिनको माता के रूप में भी पूजा जाता है। और आज यही सड़कों पर फालतू घूमती नजर आती है बेबस है लाचार है। जिनकी स्थिति में सुधार एवं देखभाल हेतु कई राज्यों में गौशाला निर्माण का कार्य चल रहा है। और जिला पंचायत अंतर्गत जनपद स्तर पर अभी कुछ ही ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। यह एक बृहद प्रोजेक्ट के रूप में कार्य किया गया है। अभी वित्तीय वर्ष 2019–20 में जिन ग्राम पंचायतों को चुना गया है। उनमें गौशाला निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। जो कि एक सराहनीय कार्य है।

ऐसे ही एक गौशाला निर्माण की इस लेख में चर्चा कर रहे हैं। यह गौशाला निर्माण बुंदेलखण्ड के छतरपुर जिला अंतर्गत राजनगर की एक ग्राम पंचायत सेवडी की बात कर रहे हैं। इस ग्राम पंचायत में सरपंच श्री पंकज नायक एवं सचिव श्री बारेलाल प्रजापति हैं। और इस ग्राम पंचायत की आबादी लगभग 4462 है। इस ग्राम पंचायत में पर्याप्त विद्यालय, प्राथमिक उपस्वास्थ्य केन्द्र, बच्चों के खेल का मैदान, पार्क की व्यवस्था, साप्ताहिक बाजार व्यवस्था, कपिल धारा पूरे गाव में सीसी रोड सूदूर रोड पूलिया निर्माण कार्य तालाब आदि की समूचित व्यवस्था है।

इस ग्राम पंचायत में पशुओं की समस्या को देखते हुए ग्राम पंचायत में गौशाला निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्वीकृत हुआ। इस गौशाला की लागत राशि 27.72 लाख रुपये स्वीकृत हुई है। इस गाव में ऐसे फालतू पशुओं की संख्या लगभग 100 है। इन पशुओं की उचित देखभाल, सुरक्षा, पोषण, पानी की उचित व्यवस्था, प्रकाश, उपचार की व्यवस्था हेतु गौशाला निर्माण कार्य किया गया है। ताकि गांव में फालतू पशु न घूमें।

यह गौशाला निर्माण लगभग 6 एकड़ की जमीन में कराया गया है। जिसके अंतर्गत 2 बड़े चरी सेड, चौकीदार का कमरा, एक बड़ा भूसा गोदाम, पानी पीने हेतु हौदी का निर्माण, शौचालय का निर्माण, बिजली की व्यवस्था की गई है। समय समय पर इनकी निगरानी हेतु विभिन्न विभागों की समन्वय समूह भी बनाया गया है। ताकि निर्माण कार्य एवं उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके एवं इनकी आवश्यकता पड़ने पर अपनी भी सहयोग एवं समन्वय स्थापित कर सहयोग कर सके।

इस गौशाला समूहों की महिलाओं एवं अन्य समूहों की महिलाओं को समुचित देखभाल की व्यवस्था भी धीरे धीरे सौंपी जा रही है एवं इसके साथ ग्रामवासियों को भी इनकी जिम्मेदारी दी गई है। कि गांव में फालतू पशु न घूमें, उन्हें गौशाला में ही रखा जाए।

इसी तारतम्य में सेवडी में गौशाला निर्माण होकर एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में स्थापित है। और ऐसी ही गौशाला निर्माण का सफल संचालन और भी ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य हो सकें ताकि सभी पंचायतों में पशुओं की उचित देखभाल एवं व्यवस्था हो सके। ताकि सरकार के सपनों को सकारात्मक रूप से साकार होने में हम सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो।

श्रीमती लवली मिश्रा,  
संकाय सदस्य



## **मिट्टी बर्तन उघोग को किया पुनर्जीवित 50 महिलाओं को भी बनाया स्वाबलंबी**

आधुनिकता के चलते आज बंद होने की कगार पर पहुच चुके मिट्टी के बर्तनों का उघोग पुनर्जीवित करने का बीड़ा छोटे से गांव बिलहरी की सुमन प्रजापति ने उठाया है। महिला स्वाबलंन की मिसाल बनी सुमन प्रजापति समाज की अन्य गरीब महिलाओं के लिए रोल मॉडल बन गई। वह महिला समूह बनाकर मिट्टी के बर्तन का कारोबार अपनी महिला साथियों के साथ कर अच्छा खासा मुनाफा कमा रही है।

ग्राम पंचायत बिलहरी जनपद पंचायत नौगांव जिला छतरपुर में रहने वाली सुमन ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार को फिर से पटरी पर लाने का जिम्मा उठाया। सुमन ने अपने जैसी अन्य महिलाओं से चर्चा कर उन्हें अपने साथ लिया और महिला समूह बना कर अपनी अजीविका मिलन के सहयोग से इलैक्ट्रिक चॉक की मदद से मिट्टी का बर्तन बनाना शुरू किया। महिला सफल हुयी, यह काम चल निकला तो सभी परिवार की सूरत और सीरत दोनों बदल गयी अब सुमन के नैतृत्व में पिछले तीन साल से 10 से 15 हजार रु. कमा रही है।

सुमन बताती है कि उनके पति दिलीप और ससुर गिरजा प्रजापति अपने घर पर पुरानी पद्धति से हाथ से धूमने वाला चक्का से मिट्टी का बर्तन बनाकर अपने परिवार का पेट पालते थे, पुरानी पद्धति से बर्तन बनाने में ज्यादा मेहनत होती थी, जिसमें एक दिन में 10 से 12 मटके, सुराही, गोलक, तबा आदि का निर्माण ही कर पाते थे। सुमन ने अपने पति का हाथ बंटाने की ठानी।

### **11 इलेक्ट्रिक चॉक से हुयी थी शुरूआत :—**

समूह गठन करने के बाद सुमन ने आजीविका मिशन के सहयोग से 30 हजार के अनुदान एवं अपने पास से इतनी ही पूंजी निवेश करते हुये दिल्ली से 11 इलेक्ट्रॉनिक चक्के खरीदे सभी चक्के समूह की महिलाओं को वितरित करते हुये पुस्तैनी गृह उघोग को आधुनिक रूप देते हुये कार्य शुरू किया देखते ही देखते साल के अन्दर सुमन की पहल पर 4 अलग अलग समूह बनाकर कार्य शुरू कर दिया अब 40 चॉक की मदद से 50 से अधिक महिलाएं मिट्टी के बर्तन बनाकर अपने पतियों का हाथ बंटा रही है। ग्राम बिलहरी में सुमन प्रजापति ने जय अम्बे मॉ समूह का गठन कर पुस्तैनी धंधे को रोजगार का रूप दिया तो उससे प्रेरणा लेकर कई महिलाओं ने अलग अलग समूह बनाये और अब वह इसके जरिये अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं।

**झनक सिंह कुहकुटे  
संकाय सदस्य**



## आपदा प्रबंधन (आपदा के प्रकार)



आपदा प्रबंधन विषयक पूर्व के लेखो में मेरे द्वारा आपदा का परिचय, आशय एवं घटको की जानकारी पर लेख किया गया था। अब हम आगे आपदा प्रबंधन के वर्गीकरण पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे –

आपदा से पूर्व प्रबन्धन में आपदा से होने वाली क्षतियों को कम किया जाता है। इसके अंतर्गत जान-माल की सुरक्षा के लिए उपयुक्त कदम उठाये जाते हैं, जिसे आपदा तैयारी कहा जाता है। यह गैर-संरचनात्मक प्रबन्धन की श्रेणी में आती है। आपदा अनेकों प्रकार से हमारे जन-जीवन को प्रभावित कर सकती है जिसका विवरण निम्नानुसार है –

### आपदा का वर्गीकरण

**प्राकृतिक आपदा के उदाहरण मौसम और जलवायु संबंधी आपदा** – सूखा, बाढ़, चकवात, ओलावृष्टि, बादल का फटना, तड़ित झांझा, महामारी इत्यादि।

**भूगर्भीय आपदा** – भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, भू-स्खलन, हिमस्खलन, बांध का टूटना या जमीन का खिसकना इत्यादि।

**मानवीय आपदा के उदाहरण** – इसमें कारखानों में घटित दुर्घटनायें, न्यूकिलियर विस्फोट या न्यूकिलियर प्लांट दुर्घटना, बांध का टूटना, फ्लाईओवर का ढहना, सार्वजनिक स्थलों पर आग लगना, खनन संबंधी दुर्घटनाएं, समुद्र में तेल का फैलाव इत्यादि।

आपदा हमारे जीवन को अनेकों प्रकार से प्रभावित कर सकती है इस अंक में हम आपदा के निम्न प्रकार – बाढ़, भूकम्प एवं तीव्र गर्जन एवं बिजली/तड़ित और बज्रपात की जानकारी प्राप्त करेंगे।

### बाढ़

#### बाढ़ के पूर्व –

- अगर आपका घर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हो तो मकान मजबूती से बनवाएं। मिट्टी के घर सबसे जलदी ढह जाते हैं। आप ऐसा घर बनवा सकते हैं जिसकी दीवारें ईटों से उस



ऊँचाई तक बनी हो जहाँ तक बाढ़ का पानी ना आ सके, मकान सीमेंट आदि से मजबूत बनवाएं।

- घर छोड़ने से पहले बिजली का मुख्य स्विच, गैस और पानी के नलों को बंद कर दें एवं मित्रों व रिश्तेदारों को अपने प्रस्थान की जानकारी दें।
- चाय, चावल का पानी, नारियल पानी आदि का दस्त के समय लाभकारी है।
- घर के सभी सदस्यों को नजदीकी सुरक्षित आश्रय की जानकारी होनी चाहिए।
- आपात्कालीन किट हमेशा अपने पास रखें, जिसमें कपड़े, मंहगे सामान, छाता, चीनी, नमक, आदि हों।
- आपातकालीन बॉक्स हमेशा अपने पास रखे – एक रेडियो, टॉर्च और बैटरी, इसे उपयोग हेतु चालू हालत में रखें।
- पानी, सूखा भोज्य पदार्थ (चूड़ा, सेव, गुड़, बिस्कुट, आदि) केरोसिन तेल, मोमबत्ती और माचिस, कागजात, आपात दूरभाष नम्बर सूची, रस्सी आदि शामिल हो।
- पॉलीथीन वॉटरप्रूफ बैग आदि रखें, जिसमें कपड़े, मंहगे सामान, आव यक दस्तावेज, छाता, चीनी, नमक, और डंडा (सांप वगैरह भगाने के लिए) हो।
- प्राथमिक उपचार बॉक्स और मजबूत रस्सी एवं सहायता केन्द्र की जानकारी अपने पास हमेशा रखें।
- अगर जगह खाली करनी जरूरी हो तो सबसे पहले गर्म कपड़े, दवाइयाँ, कीमती वस्तुएँ, निजी कागज आदि को वाटर प्रूफ बैग में

डाल दें और आपात्कालीन बॉक्स के साथ रखें।

- बैलगाड़ी, कृषि उपयोगी सामान या मशीन सुरक्षित जगह पर रखें।
- जल स्तर बढ़ रहा हो, तो पालतू जानवरों को सुरक्षित तथा ऊँचे स्थानों पर भेज दें या उन्हें खुला छोड़ दें।
- बाढ़ के दौरान अगर कोई नदी पार करना जरूरी हो, तो पानी की गहराई व बहाव को लकड़ी की सहायता से जरूर जांच लें।
- अपने शहर/गांव में बाढ़ की संभावना और विगत वर्षों में बाढ़ के सबसे उच्च स्तरों को जानें।
- स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा बाढ़ की चेतावनी मिलने पर उसका पालन करें, अपने पड़ोसियों को सूचित करें तथा ऊँचे स्थानों पर चलें जाएं।
- पुलिस/दमकल अधिकारियों के अनुदेशों का पालन करें व उन्हें सहयोग दें, आपकी सुरक्षा उनका ध्येय है।
- सांप, विशाधर प्राणियों से बचकर रहें, प्रायःबाढ़ के समय सांप के काटने की घटनाएँ होती हैं।
- नवीनतम आसपास वातावरण को साफ एवं स्वच्छ रखें।
- चाहे आप रहें या कही सुरक्षित जगह पर जाए, पर शौचालय में बालू से भरी बोरियाँ डाले और नाली या किसी भी प्रकार के छेद को कपड़े से बंद कर दें ताकि पानी वापस ना आए।



- घर में ताला लगाएं और बताए हुए सुरक्षित रास्ते का ही उपयोग करें।
- यदि आपके क्षेत्र में बाढ़ की आशंका है तो स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक निर्माण सामग्री पर विचार करें।
- रेडियों या टीवी से बाढ़ की सूचना लगातार लेते रहें।
- अपने निकटतम शरण स्थलों व सुरक्षित मार्गों की पूर्ण जानकारी रखें। आपातकालीन किट तैयार रखें।
- आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ, पीने का पानी आदि का भंडारण कर लें।

### **बाढ़ के दौरान —**

- बाढ़ के दौरान उबला हुआ या क्लोरीन युक्त पानी का सेवन करे।
- हल्का खाना लें, उपलब्ध भोजन/खाद्य सामग्रियों को ढक कर रखें।
- बाढ़ का पानी न पियें और न ही उससे भोजन पकाएं, बाढ़ के पानी के सम्पर्क में आया हुआ खाद्य पदार्थ न खायें न ही बाढ़ में मौजूद मछली और जलीय जीवों को न खायें।
- कच्ची चाय, चावल का पानी, नारियल पानी आदि का दस्त के समय सेवन करें और अपने नजदीकी स्वारथ्य केंद्र से संपर्क करें।
- ब्लिंचिंग पाउडर से घर के आसपास को साफ रखें।
- बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं को खाली पेट न रहने दें।
- फर्नीचर, कपड़े और कीमती सामान, बेड, टेबल आदि ऊँचे स्थानों पर ही रखें।

- बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में ना जाएं तथा गाड़ी चलाने से बचें।
- मदद के बिना बाढ़ के पानी में ना जाएं, बच्चों को बाढ़ के पानी के पास खेलने ना दें।
- अज्ञात गहराई वाले पानी को कभी भी पार करने की कोशिश ना करें, अगर पार करना आव यक हो तो जरूरी कपड़े व जूते पहने, गहराई व बहाव लकड़ी की सहायता से जॉचे।
- जन प्राधिकरणों द्वारा सुरक्षित घोषित किए जाने तक अपने घर वापस न आएं।
- उन बिजली उपकरणों का प्रयोग न करें, जो बाढ़ के पानी में भीगे हों।
- विषधर प्राणियों से सचेत रहें।
- अधिकारी/स्वयंसेवकों की सहायता से सामग्री बांटने में मदद करें।
- अफवाहें न फैलायें और न ही उन पर ध्यान दें।
- रेडियो द्वारा ताजा जानकारी व सुझाव लेते रहें।

### **जब बाढ़ आने कि चेतावनी सुनें —**

- रेडियो या टीवी देखें चेतावनी व सुझाव के लिए।
- ध्यान रखें, स्थानीय अधिकारी की चेतावनियों पर।
- अपवाह पर ध्यान ना दें और ना घबराएँ।
- सूखे भोज्य पदार्थ, कपड़े, पेयजल तैयार रखें।

**डॉ. त्रिलोचन सिंह  
संकाय सदस्य**



## कोरोना से बदली जीवन शैली में मास्क एवं सेनेटाइजर के उपयोग में सावधानियां



कोरोना काल में संक्रमण के चलते आम आदमी की जीवन शैली में बहुत से बदलाव आएं हैं। आदत में बदलाव में मुख्य रूप से मास्क एवं सेनेटाइजर का उपयोग बदले हुए परिवेश में दिनचर्या का अभिन्न अंग बन गया है। आज की स्थिति में हमें करोना फेंडली होकर जीने की आदत डालनी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग को व्यवहार बनना तो हम लगभग सीख ही गये हैं इस बदली जीवन शैली ने सामाजिक जिम्मेदारी का भी एहसास करया है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं सेनेटाइजर, की अनिवार्यता को जीने की आदत डालने की बात संकट काल में सही है, किन्तु इसमें भी जानकारी का आभाव जीवन को खतरे में डाल सकता है।

मास्क कब, कहाँ, कितनी देर पहनना है, यह भी सभी को जानने की जरूरत है, साथ ही एल्कोहल बेस्ड सेनेटाइजर का उपयोग भी कैसे करना हैं यह भी महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि करोना में इनका उपयोग हमें इस बीमारी से सुरक्षित जरूर कर देगा, किन्तु उपयोग का गलत तरीका या जानकारी का अभाव हमें दूसरी बिमारियां भी दे सकता है।



मास्क के उपयोग में ध्यान देने वाली बातें –

1. मेडिकल मास्क एक बार ही उपयोग करना चाहिए।
2. कपड़े वाले मास्क 6 घण्टे के उपयोग के बाद धोकर 'पुनरुत्थान' उपयोग करना चाहिए।
3. कपड़े वाले मास्क में धूल जमा होती है, इसलिए धोकर ही दोबारा उपयोग



करें अन्यथा सांस की तकलीफ हो सकती हैं।

4. ज्यादा देर तक लगातार या ज्यादा पुराना मास्क लगाने के कई साइड इफेक्ट हो सकते हैं।
5. ज्यादा देर मास्क लगाने से ऑक्सीजन की कमी होती है। मस्तिष्क में भी ऑक्सीजन कम पहुँचती है।
6. ऑक्सीजन की कमी से कमजोरी का अनुभव होता है।

सेनेटाइजर के उपयोग में ध्यान देने वाली बातें –



5. सेनेटाइजर का उपयोग विशेष स्थिति में करे सामान्य स्थिति में साबुन का प्रयोग करें, तो बेहतर होगा।

कोरोना संक्रमण से बचने के उपाय तो हमें अपनाना ही हैं किन्तु यह भी ध्यान में रखना है इस समय सुरक्षा के साथ साथ भविष्य में भी हम स्वस्थ रहें।

डॉ. वंदना तिवारी,  
व्याख्याता



## कोरोना (COVID-19) संक्रमण से बचते हुये ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के अवसर – चुनौतियां व संभावनाएं

पूरी दुनिया में कोरोना (COVID-19) संक्रमण महामारी का विकराल रूप देखने मिल रहा है। जिसका असर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों पर भी पड़ा है। ऐसे आपातकाल में गाँव के लोगों को जरूरी सेवा उपलब्ध कराने में स्व-सहायता समूह अहम् भूमिका निभा रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक संगठनों द्वारा अपनी-अपनी गतिविधियां चलाई जा रही हैं। इन सामुदायिक संगठनों में स्व-सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संगठन, अन्य समितियां, संस्थाएं प्रमुख हैं। इन सामुदायिक संगठनों में अपने कामकाज को चलाने के लिए बैठकें, बचत, आन्तरिक ऋण का लेनदेन एवं विभिन्न आर्थिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं।

गांव में आजीविका के रूप में घरेलू व मंझले स्तर के उद्योग, आवास निर्माण, कृषि, वानिकी, उद्यानिकी, फ्लोरिकल्चर से संबंधित आर्थिक गतिविधियां की जा रही हैं। इसके साथ-साथ महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाय), मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम (एमडीएम) योजनाओं में भी आजीविका के लिए ग्रामीण क्षेत्र में रोजगारोन्मुखी कार्य करवाये जा रहे हैं।

बहुत से गाँवों में सामान्यतः देखने में आ रहा है कि, सामुदायिक संगठन के सदस्य, ग्रामीण कामगार, फेसलीटर्स द्वारा कोरोना (COVID-19) संक्रमण की रोकथाम एवं इससे बचाव करने के

तरीकों का उपयोग नहीं करते हैं। जिससे इस संक्रमण से स्वयं एवं दूसरे व्यक्तियों को नुकसान पहुँचने का खतरा बना हुआ है। इस कारण से कोरोना संक्रमण का फैलाव भी बड़ा सकंट बन सकता है।

ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के काम-काज को इस प्रकार से करना जरूरी होगा कि आर्थिक लाभ भी मिले और कोरोना (COVID-19) संक्रमण की रोकथाम एवं इससे बचाव भी किया जा सके। आजीविका के लिए निम्न प्रयास किये जा सकते हैं :—

**कोरोना संक्रमण से बचने के तरीकों को आदत बनाना**

मास्क पहनना, फिजीकल डिस्टेंस का पालन करना, सेनेटाइजर का उपयोग करना, बार-बार हाथ धोना जैसी बातों को अब आदत में लाना होगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के और भी प्रयास अब



नियमित किये जाने चाहिए। ये बातें स्व-सहायता समूह के सदस्यों को बार-बार बताना व सिखाने की आवश्यकता है।

**घर पर रहकर तैयार किये जाने उत्पाद को बढ़ावा**

अभी की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए अपने घर में रहते हुए योजनानुसार किसी उत्पाद का निर्माण कर आर्थिक सशक्ति किये जाने के छोटे बड़े जो भी प्रयास कर सकें जरूर किये जाने चाहिए।

मास्क, पापड़,



जा सकता है। विभिन्न प्रकार के मसाले भी तैयार कर आजीविका के साधन बनाये जा सकते हैं। साबुन, हैण्डग्राश, फिनाईल, स्वच्छता सामग्री जैसे उत्पाद तैयार कर स्व-सहायता समूहों द्वारा आजीविका के साधन बढ़ाये जा सकते हैं। स्व-सहायता समूह सदस्यों का ऐसी गतिविधियों से लघु व्यवसाय की ओर जाने की मानसिकता का निर्माण होगा और व्यवसाय की समझ भी विकसित होगी।

**जैविक विधि से अनाज, सब्जी, फल उत्पादन**

स्व सहायता समूह



अचार, जैविक खाद, गोबर के कंडे, अगरबत्ती, धूप बत्ती, सस्ती मिल रही सब्जियों को सुखा कर संग्रहित कर बेचा जाना, कोई वनोपज या मसाले आदि का पाउडर भी बनाया



से जुड़ी उन सभी महिलाओं को जिनके लिए खेती ही आय का प्रमुख स्रोत है सिर्फ और सिर्फ जैविक खेती करने और स्थानीय बीज के उपयोग के लिए ही तैयार करने के प्रयास पर बल देना



चाहिए। मृदा परीक्षण, फसल बीमा की अनिवार्यता के साथ साथ और धान गेहूं या मुख्य फसलों के साथ फल-सब्जी की खेती को भी साथ में करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

हायब्रिड बीज और रासायनिक खाद का अधिक उपयोग मृदा की उर्वरता को कम करता है साथ ही उत्पादन लागत को बढ़ाता भी है। जैविक उपज से फसल के दाम भी अधिक मिल सकेंगे।

#### औषधीय पौधों के माध्यम से आजीविका

गांव में विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधों को लगा कर उससे आजीविका का जरिया बनाया जा सकता है।

#### स्व-सहायता समूह और ग्रामवासियों के सहयोग से सामग्री तैयार किया जाना

ग्राम संगठन या स्व-सहायता समूह आपस में मिलकर मतलब सामूहिक चर्चा कर अपने ही गाँव में ऐसा कोई व्यवसाय के निर्माण की योजना तैयार करने का प्रोजेक्ट निर्माण करें जो आपके ही ग्राम में आपके ही ग्रामवासियों की सहभागिता में संचालित किया जा सके।

#### होम डिलेवरी सिस्टम आधारित आर्थिक गतिविधियां

स्व-सहायता समूह के माध्यम से होम डिलेवरी सिस्टम चालू करने का प्रशिक्षण शुरू होना चाहिए जिससे आपातकाल में कृषि सखी के द्वारा कृषि आदान (बीज, खाद) बैंक सखी के द्वारा नगद राशि जमा निकासी आदि कार्य किये जा सकें और आपातकाल में जो भी सुविधा अपने ग्राम संगठन या समूह से जुड़ी महिला सदस्यों को देना चाहें हम

आसानी से उन्हें आवश्यकानुसर दे सकें इसकी तैयारी करनी चाहिए। आज बड़ी बड़ी कंपनी भी ऐसा परिवर्तन कर रहे हैं।

#### स्व-सहायता समूह उत्पाद का गुणवत्ता परीक्षण व प्रमाणीकरण

स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने की बात वर्तमान में की जा रही है इसलिये अपने स्थानीय उत्पाद की जो भी विशेषता हो उनके उत्पादक किसानों की संख्या को बढ़ाने, उस उत्पाद की GI Taging किसी कंपनी से संबद्धता एगमार्क, लोगो, पैकिंग डिसाइनिंग आदि सोच को भी विकसित किया जाने का समय है। कभी-कभी अच्छे आइडिया सोच को स्टार्टअप का सहयोग बड़े व्यवसाय में बदलने में चमत्कार का काम कर देता है। इसीलिए इसकी पूरी तैयारी ऐसे समय में जरूर करनी चाहिए जब हमारे पास पहले से ज्यादा समय है।

#### ग्राम स्तर पर पशुपालन गतिविधि

ग्राम स्तर पर पशुपालन की गतिविधि बढ़ाई जा सकती है। कुकुट, बकरी, गाय, भैंस पालन जैसी इकाईयों को स्व-सहायत समूह और ग्रामवासियों के सहयोग से चलाया जा सकता है।

#### चलित दुकानें

स्व-सहायता समूह, अन्य व्यापारियों द्वारा दैनिक व साप्ताहिक बाजारों में अपने सामान की बिक्री की जाती रही है। अब चलित दुकानों के माध्यम सामग्री बिक्री की जा सकती है। इससे गांव के लोगों को अपने घर के पास ही जरूरी किराना सामान, सब्जी इत्यादि उपलब्ध हो जाएगी।





**मनरेगा अन्तर्गत जल संरक्षण, कृषि आधारित कार्य**

मनरेगा अन्तर्गत जल संरक्षण, कृषि आधारित कार्य करवाये जा सकते हैं। इससे ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों, ग्रामीण कामगारों को आजीविका मिल सकेगी।



## भवन निर्माण, आवास निर्माण सामग्री का उत्पादन, डीलरशिप

गांव में ईट निर्माण की ईकाईयां अधिक संख्या में स्थापित की जा सकती हैं। इसी प्रकार से भवन, आवास में लगने वाली सामग्री यथा सीमेंट, लोहा आदि की डीलरशिप का कार्य गांव में समूहों द्वारा किया जा सकता है। आवास निर्माण के समय लगने वाली सेन्टरिंग की ईकाईयां भी अधिक संख्या में स्थापित की जा सकती हैं।

इस प्रकार से वर्तमान में कोराना संकरण महामारी से बचते हुये ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के साथ मिल कर स्व-सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संगठनों द्वारा आजीविका के लिए बहुत अच्छे प्रयास किये जा सकते हैं।

**डॉ. संजय कुमार राजपूत,  
संकाय सदस्य**

**कोरोना वायरस का खतरा घटाएं (COVID-19)**  
**यह महत्वपूर्ण सावधानियाँ अपनाएं**

सांस लेने, छीकने, किसी जगह को धूपे, खाना खाने से पहले और शाय के बाद नियमित रूप से राशुन और पानी या सेंटिलाइजर से हाथ धोएं

सांस लेने और छीकने पर मुँह और नाक को रुमाल या टिक्कू से ढाकें

अपनी औंख, नाक और मुँह को धूने से बचें

जिन व्यक्तियों को खासी, सांस लेने में परेशानी या बुखार हो, उनके निकट संपर्क से बचें और दूरी बनाएं

खासी, सांस लेने में परेशानी या बुखार होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें

**सुरक्षित रहें! नोवल कोरोना वायरस से बचें रहें!**

यदि आप कोरोना वायरस प्रभावित देखों से लौटे हैं या आपको खांसी, बुखार और सांस लेने में परेशानी है, तो तुरंत रिपोर्ट करें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 24X7 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें +91-11-23978046 ncov2019@gmail.com



**सफलता की कहानी – कोविड-19 संक्रमण रोकने एवं बचाव**

कोविड -19 वायरस जो सारे विश्व में  
महामारी के रूप में फैल गया है। यह वायरस  
संक्रमित व्यक्ति या उसके द्वारा स्पर्श की गई किसी  
वस्तु के सम्पर्क में आने से फैलता है। साथ ही  
संक्रमित व्यक्ति के खँसने, झीकने आदि से भी फैलता  
है।

जब कोरोना वायरस ने मानवों को संक्रमित करना प्रारम्भ किया और बड़ी तेजी से संक्रमण फैलने लगा तो तुरन्त इससे बचाव हेतु भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने विशेषज्ञों से सलाहकर निर्देश जारी किये की हमें संक्रमण की चैन को तोड़ना होगा। प्रधानमंत्री जी ने लोगों से अपील की की वह अपने घरों पर रहे। किसी भी व्यक्ति से एक गज की दूरी बनाकर रहे। और मँहूं पर मास्क लगाये। बार-बार साबुन से हाथ धोवे। लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इस विश्व व्यापी महामारी से बचाव के उपाय सरल तरीके से समझाने और प्रेरित करने हेतु शिवपुरी जिले के जनपद पंचायत नरवर के MRP राकेश लक्ष्मार (अध्यक्ष साहस युवक मण्डल नरवर) ने अपनी टीम के साथ मिल कर इस बीमारी से लोगों को कैसे बचा सकते हैं इस पर चर्चा की जिसके निश्कर्ष के फलस्वरूप सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से लोगों को जोड़कर जागरूक किया।

## 1. आरोग्य सेतू एवं आई गोट डाउनलोड

मेरे द्वारा 200 लोगों को आरोग्य सेतू एप्प  
और 50 लोगों को आई गोट एप्प डाउनलोड  
कराया गया।

## 2. स्वच्छता हेतु कचरादान निर्माण

नरवर क्षेत्र में साफ सफाई के महत्व को बताते हुए लोगों को प्रेरित किया कि वह अपने घर का कचरा एक निश्चित जगह पर डाले। ग्राम पंचायत चकरामपुर के ग्राम उदियापुर में श्रमदान से कचरेदान का निर्माण कराकर लोगों को इसका उपयोग करने को प्रेरित किया।



### 3. दीवार पर नारा लेखन

हमारे द्वारा नरवर क्षैत्र की लगभग 50 दीवारों पर कोरोना वायरस से बचाव हेतु विभिन्न प्रकार के नारों का लेखन कराकर लोगों को इससे बचाव हेतु सावधानियों के बारे में बताया।





#### 4. बेसहारा लोगों को भोजन पैकेट वितरण

तब सारे देश में लॉकडाउन हो गया और सभी लोग अपने घरों में रहने लगे ऐसे समय में मजदूर वर्ग जो प्रतिदिन मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। ऐसे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई लोग भूखे रहने लगे। इस समस्या को देख कर हमारी टीम ने अन्य दानवीरों के सहयोग से गरीब बेसहारा लोगों को भेजन उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया। और



प्रतिदिन लगभग 200 लोगों को भेजन के पैकेट तैयार कराकर उनके घर पर पहुँचायें।

#### 5. कोरोना योद्धाओं का सम्मान

नरवर क्षेत्र में लॉकडाउन का पालन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे पुलिस प्रशासन और लोगों की स्वास्थ्य सेवा में लगे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी इस कोरोना वायरस से हुये लॉकडाउन के दौरान व्यवस्था बनाने में अपने घर परिवार की चिंता न करते हुए लोगों की सेवा में जुटे कोरोना योद्धाओं का सम्मान कर उनका होसला बढ़ाया।

#### 6. मास्क वितरण

हमारी टीम द्वारा लगभग 200 मास्क बनाकर बांटे गये और कई लोगों को मास्क बनाने हेतु प्रेरित किया।

#### 7. सामाजिक दूरी का पालन

जब बाजार खुलने लगे तो दुकानों पर भीड़ न हो और एक दूसरे से फिजीकल दूरी बनी रहे इसके लिए दुकानों के सामने गोले बनवाये। और दुकानदारों, ग्राहकों को एक दूसरे से एक गज की दूरी बनाये रखने हेतु प्रेरित किया।



## 8. त्रिकूटा चूर्ण और काढा वितरण

कोरोना वायरस के प्रकोप से लोगों को बचाव के उपाय के तहत इम्यूनिटी बढ़ाने हेतु आयुष विभाग के सहयोग से ग्राम पंचायत निजामपुर में त्रिकूटा चूर्ण और काढे का वितरण कराया।

## 9. सैनेटाइजर का छिड़काव

कोरोना वायरस से लोगों की सुरक्षा करने हेतु नरवर नगर में हमारी टीम ने सोडियम हाइपोक्लोराईड का छिड़काव कर नगर को सैनेटाइज किया।

उपयोग करें। घर लोटने पर साबुन से अच्छी तरह हाथ धोबे। इसके साथ ही अपनी एनर्जी बढ़ाने हेतु पोष्टिक आहार ले। एक दूसरे से कम से कम एक गज की दूरी बनाकर रखें।

इस प्रकार हमारे द्वारा शिवपुरी जिले के नरवर विकासखण्ड में लोगों को जागरूक कर कोरोना वायरस से बचाव के उपायों को अपनाने हेतु प्रेरित किया गया। इस कार्य में विभिन्न विभागों और समाज सेवियों, अपने मित्रों का भी सहयोग लिया। और टीम भावना के साथ कार्य कर इस महामारी से लड़ने का होसला लोगों में पैदाकर एक दूसरे के सहयोग के



## 10. हाथ धुलाई हेतु प्रेरित

इसके साथ ही MRP राकेश लक्षकार ने अपनी संस्था (साहस युवक मण्डल नरवर) के सदस्यों के साथ मिलकर लोगों को जागरूक करते हुए बाहर निकले तो हमेशा मास्क का

लिए प्रेरित किया। इन सभी कार्यों के फलस्वरूप और ईश्वरीय कृपा से आज हमारा नरवर सुरक्षित है।

श्री आर.के. मूदडा  
संकाय सदस्य





# रोजगार सेतु

कोविड 19 महामारी के संक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के चलते विभिन्न राज्यों से अपने घरों को वापस लौटने वाले लाखों प्रवासी श्रमिकों के समक्ष आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया है। इन प्रवासी कामगारों को उनके गृह क्षेत्र के आस पास ही उनकी दक्षता एवं कौशल के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

### 1. गरीब कल्याण रोजगार अभियान

केंद्र प्रवर्तित इस अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 20 जून 2020 को किया गया। इसके तहत 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार एवं झारखण्ड के 116 जिलों में अपने घर लौटे प्रवासी मजदूरों को 25 अलग अलग प्रकार के कार्यों में आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इन 6 राज्यों से ही सबसे अधिक श्रमिकों का पलायन होता है। इस अभियान में मध्यप्रदेश के 24 जिले बालाघाट, झाबुआ, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सतना, सागर, पन्ना, भिंड, अलीराजपुर, बैतूल, खंडवा, शहडोल, धार, डिंडोरी, कटनी,

छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, खरगोन, बड़वानी, सीधी, सिंगरौली और शिवपुरी जिले शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक जिले से कम से कम 25 हजार श्रमिक इस अभियान में शामिल होंगे।

इसके तहत 50000 करोड़ रुपए के रोजगार मूलक कार्य कराए जाएंगे जिसमें श्रमिकों की रुचि एवं कौशल के अनुरूप व स्वरोजगार के कार्यों द्वारा गांव में ही जीविकोपार्जन हेतु प्रोत्साहन दिया जावेगा एवं ग्रामीण सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण किया जावेगा।

### रोजगार हेतु चिन्हित गतिविधियाँ

श्रमिकों को 25 प्रकार के कार्यों सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण, ग्राम पंचायत भवन, वित्त आयोग फंड के कार्य, राष्ट्रीय राजमार्ग कार्य, जल संग्रहण व वाटर हार्वेस्टिंग कार्य, कूप निर्माण, कैंपा फंड के तहत पौधा रोपण व पर्यावरण, बागवानी, आंगनबाड़ी, रुरल हाउसिंग, गांव को जोड़ने वाली सड़क निर्माण, रेलवे के कार्य, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन के कार्य, पीएस कुसुम वर्क, भारतनेट के तहत केबल कार्य, जल जीवन मिशन, पीएम ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, केवीके, जिला खनिज फंड के कार्य, ठोस तरल अवशिष्ट प्रबंधन, फॉर्म पॉड्स, पशु शेड, बकरी शेड, पॉलट्री शेड और केंचुआ खाद यूनिट में रोजगार प्रदान किया जावेगा।

गरीब कल्याण रोजगार अभियान प्रवासी मजदूरों को अपने मूल निवास स्थान गृह प्रदेश में रोजगार उपलब्ध कराने एवं कोविड 19 आपदा से निपटने में मददगार साबित होगा।



## 2. रोजगार सेतु योजना

कोविड 19 महामारी के संक्रमण के कारण लॉकडाउन की स्थिति में दूसरे राज्यों में फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों की मध्यप्रदेश में घर वापसी लगातार जारी है। इन श्रमिकों को उनकी दक्षता एवं कौशल के अनुरूप उद्योगों/नियोजनों/निर्माण कार्यों आदि में रोजगार देने हेतु मध्यप्रदेश में रोजगार सेतु योजना प्रारम्भ की गई है। श्रमिकों के पंजीयन हेतु बनाये गए रोजगार सेतु पोर्टल का लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 10 जून 2020 को किया गया। इसकी वेबसाइट [www.rojgargetu.mp.gov.in](http://www.rojgargetu.mp.gov.in) पर सभी प्रवासी श्रमिकों का पंजीयन ग्राम पंचायत, शहर के वार्ड वार करके एक ऑनलाइन स्किल मैपिंग डेटाबेस बनाया जा रहा है। प्रदेश में 27 मई से 06 जून 2020 तक चलाये गए विशेष अभियान में 730311 प्रवासी श्रमिकों का रोजगार सेतु पोर्टल पर पंजीयन पूर्ण हो गया है एवं पंजीयन सतत जारी है। पोर्टल पर निर्माण श्रमिकों की 43, असंगठित श्रमिकों की 40 एवं कारखानों में नियोजित श्रमिकों की 9 श्रेणियों के दक्षता व कौशल अनुसार प्रवासी श्रमिकों की जानकारी पंजीकृत की गई है।

### उद्यमी/नियोक्ता

श्रमिकों की आवश्यकता रखने वाले नियोक्ता/सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद उद्योग/कारखाना/ व्यावसायिक/ प्रतिष्ठान / संस्था/ठेकेदार/बिल्डर/भवन/निर्माता/दुकानदार/मॉल और प्लेसमेंट एजेंसी इस पोर्टल पर अपना पंजीयन करा रहे हैं। अब तक 18386 नियोक्ता/रोजगार प्रदायकर्ता का पंजीयन पूर्ण हो गया है और पंजीयन सतत जारी है। पंजीयन पश्चात नियोक्ता स्थानीय



श्रमिकों के अनुभव एवं कौशल आधारित जानकारी जिलावर मोबाइल नंबर सहित प्राप्त कर सकेंगे और अपनी आवश्यकतानुसार उपयुक्त व्यक्तियों को रोजगार दे सकेंगे।

### योजना से लाभ

- श्रमिकों को उनके कौशल अनुसार उनके गांव या शहर के पास ही रोजगार मिलेगा।
- पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों के जॉब कार्ड बनाकर उन्हें मनरेगा में रोजगार मिलेगा।
- संबल योजना में पात्र प्रवासी श्रमिकों को संबल योजना का लाभ मिलेगा।
- पात्र श्रमिक संनिर्माण कर्मकार मंडल की समस्त योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
- प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना में प्रत्येक श्रमिक को 10kg गेंहू और 2kg दाल निशुल्क दी जावेगी।
- प्रवासी श्रमिकों के कौशल उन्नयन हेतु प्रशासन द्वारा प्रयास किए जावेंगे।

राजीव लघाटे,  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जनपद पंचायत



## मास्टर रिसोर्स परसन द्वारा योग शिविर का आयोजन

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसका प्रारंभ 21 जून 2015 को हुआ था। इस दिवस की स्थापना वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा रखी गई थी। योग एक भौतिक, मानसिक एवं आत्मीय अभ्यास है जो भारत देश में प्राचीन काल से प्रचलित है। भारत के प्रधान मंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा संयुक्त राष्ट्र सभा में 21 जून को उत्तरीय गोलार्द्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिवस होने के कारण यह सुझाव दिया गया जिसका महत्व पूरे विश्व में बहुत अधिक है।

शासन द्वारा जारी गाईडलाइन का पालन करते हुए विभिन्न ई.टी.सी द्वारा प्रशिक्षित मास्टर रिसोर्स परसन द्वारा जन कल्याण हेतु अनुकर्णीय कार्य किये जा रहे हैं। इस क्रम में योग दिवस के अवसर पर मास्टर रिसोर्स परसन द्वारा विभिन्न स्थानों पर सूक्ष्म योग शिविर का आयोजन कर लोगों को योग के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही योग से संबंधित अतिमहत्वपूर्ण जानकारी दी गई कि किस तरह से व्यक्ति प्रतिदिवस कुछ समय के लिए योग का अभ्यास कर अपनी आंतरिक क्षमता (इम्यूनिटी) को विकसित कर सकता है जो कि कोरोना संक्रमण से लड़ने एवं बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है।

जनपद पंचायत नरवर जिला शिवपुरी में मास्टर रिसोर्स परसन श्री राकेश लक्ष्मार द्वारा युवाओं को योगाभ्यास कराया गया।





महिला मास्टर रिसोर्स पर्सन श्रीमती अंजुम बानो (जनपद पंचायत राधोगढ़, जिला गुना) द्वारा अपने गृह स्थल पर ही महिलाओं को योगाभ्यास कराया गया एवं उनके द्वारा अतिमहत्वपूर्ण जानकारी दी गई की महिलाएँ योग के माध्यम से अपनी मानसिक एवं शारारिक शक्ति को किसी भी परिस्थित में सदृश एवं सशक्त रख सकती है। नियमित योग एवं व्यायाम से निरोगी जीवन भी व्यतीत किया जा सकता है।



इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी अलग—अलग मास्टर रिसोर्स पर्सन द्वारा ग्रामवासियों को योगाभ्यास कराया गया। ग्राम पंचायत लहर कोता जनपद पंचायत गुना से श्रीमती सोना खान, जनपद पंचायत गौरिहार जिला छतरपुर से श्री महेश द्विवेदी एवं श्री नारायण दास बैरागी द्वारा ग्रामवासियों को योगाभ्यास कराया गया।

मास्टर रिसोर्स पर्सन द्वारा परस्पर किये जा रहे अनुकर्ण्णीय कार्य यह दर्शाता है कि इनकी भूमिका जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है एवं विभिन्न ई.टी. सी द्वारा मास्टर रिसोर्स पर्सन को विशिष्ट

रूप से चुनकर एवं उन्हे प्रशिक्षित कर इस नवाचार को आज अधिक साथर्कता प्राप्त हुई है। हमारे प्रशिक्षित मास्टर रिसोर्स पर्सन को उनके द्वारा किये जा रहे कार्य के लिए अभिनंदन एवं शुभकामनाएं।

राजीव दुबे,  
प्रोग्रामर



## श्री नीलकमल सिंह राजपूत, सरपंच—कोरोना योद्धा पलायन से लौटने वाले पीड़ित ग्रामीण कामगारों को पहुँचाई गई मदद

कोविड-19 महामारी के दौरान मध्य प्रदेश के राजमार्ग पर स्थित पंचायतों के सरपंचों द्वारा पलायन से लौटने वाले पीड़ित ग्रामीण कामगारों को मदद की गई। यह देखने मिला मध्यप्रदेश के जिला सागर की मालथौन जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत मालथौन में।



कोरोना संक्रमण काल में प्रदेश के बहुत सारे ग्रामीण कागमार अपने गांव लौट रहे थे जब वे भूख, चिन्ता, थकान के बोझ से आकुल-व्याकुल अवस्था में थे। सागर जिले के राजमार्ग पर स्थित मालथौन ग्राम पंचायत के सरपंच श्री नीलकमल सिंह राजपूत द्वारा ऐसे ग्रामीण कामगारों को मदद देने की पहल की गई।

सरपंच द्वारा स्वयं के प्रयासों और जनपद पंचायत व ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्रामीण कामगारों के लिए विश्राम स्थल के साथ-साथ भोजन की व्यवस्था की गई। सरपंच द्वारा बताया गया कि ऐसे विपत्ती के समय में ग्राम पंचायत को प्राप्त हुई वित्त आयोग की राशि बहुत काम आई। इस मद से ग्राम पंचायत द्वारा ऐसे ग्रामीण कामगारों के लिए ग्राम पंचायत द्वारा राजमार्ग पर भोजन एवं शुद्ध पेयजल व्यवस्था की जा सकी।


जनपद पंचायत मालथौन एवं ग्राम पंचायत पंचायत के शासकीय सेवकों एवं पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र के राजमार्ग पर पहुंचकर भोजन कराया गया। मुख्य सड़क से जुड़ी जिले की ग्राम पंचायतों द्वारा लगातार यह कार्य किया जा रहा है। मालथौन ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा राज्य मार्ग की मुख्य सड़क के "चौराहे" को चिन्हित किया गया। जिससे उन्हें सारे मजदूर एक ही स्थान पर मिल सके और वे एक ही समय में अधिक से अधिक मजदूरों की मदद कर सकें। यह "चौराहा" राष्ट्रीय राजमार्ग पर है इसलिए सरपंच



द्वारा चौराहे के चारों तरफ टैंकरों द्वारा पीने के पानी की लगातार आपूर्ति की गई।

ग्राम पंचायत मालथौन द्वारा प्रथम लॉक डाउन के दौरान पूरी व सब्जी के पैकेट, खिचड़ी का वितरण किया गया। जो ग्रामीण कामगार ठहर कर भोजन नहीं कर पा रहे थे उन्हें भोजन सामग्री को पैकेट में पैक करके मजदूरों को वितरित किया गया और जो ग्रामीण कामगार वहीं बैठकर भोजन करना चाह रहे थे उन्हें फिजीकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराते हुए बैठाल कर भोजन कराया गया।

इस कार्य में ग्राम पंचायत के सचिव, ग्राम रोजगार सहायक तथा जनपद पंचायत के अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। जनपद पंचायत मालथौन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री राजीव कुमार मिश्रा द्वारा पंचायत क्षेत्र के राजमार्गों पर स्वयं उपस्थित रह कर भोजन व्यवस्थाएं की गई।



थकान से चूर हो गये पलायन से लौटने वाले ग्रामीण कामगारों के लिए विश्राम स्थल की व्यवस्था की गई। इसके लिए कनात लगाकर अस्थाई विश्राम स्थल तैयार कराया गया था। ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित क्वॉरेंटाइन सेंटर में रुके हुए स्थानीय श्रमिकों के लिए ठहरने और भोजन की व्यवस्था की गई।

कोराना संक्रमण महामारी के दौरान पलायन से लौटने वाले ग्रामीण कामगारों की परेशानियां कम करने में राजमार्गों की पंचायत मालथौन ने बहुत ही अच्छे तरीके से विश्राम, भोजन, पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य किया गया है। यह कार्य ग्राम पंचायत के सरपंच श्री नीलकमल सिंह राजपूत के नेतृत्व और श्री राजीव कुमार मिश्रा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मालथौन जिला सागर की प्रेरणा से किया गया। इस कार्य में ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों और ग्रामवासियों द्वारा भरपूर सहयोग दिया गया।

श्रीमती लीना गौर,  
एम.आर.पी.



## आपदा प्रबंधन में पंचायत की भूमिका

जीवन चक्र में बार बार परिवर्तन हो रहा है और वेसमय बहुत सारी आपदाएँ आ रही हैं आज तो प्रकृति बार बार आपदाओं को ला रही है। प्राकृतिक रूप से बहुत चीज देख रहे हैं जो परिवर्तित हो रही हैं और सभी जनमानस खासतौर पर ग्रामीणों को इन आपदाओं का विशेष सामना करना पड़ रहा है। ऐसे समय पंचायत की अहम भूमिका होती है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार केन्द्र राज्य व जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन अभिकरणों का गठन हो चुका है। इसी तरह पंचायत अधिनियम 1993 के प्रावधान अनुसार पंचायत सुरक्षा के उद्देश्य से रक्षा समिति की स्थापना का प्रवाधान है ग्राम पंचायत, ग्राम सभा के माध्यम से आपदा प्रबंधन समिति गठन कर सकती है। धारा 50 (क) के अनुसार जनपद पंचायत के कार्यों में आपतिक सहायता व्यवस्था को शामिल किया जाता है।

यदि कभी आपदा आती है तो उसमें किस प्रकार से सहायता प्राप्त करनी है आपदाओं को कैसे निपटान करना है और कैसे गाँव के लोगों को बचाना है यह पंचायत अधिनियम 1993 में स्पष्ट रूप से बताया गया है।

आइये समझते हैं कि पंचायत को आपदओं की पहचान करना यह पंचायत की भोगोलिक स्थिति पर निर्भर करती है पंचायत इन आपदाओं के हल के लिये स्वयं भी जिम्मेदार होती है इसके लिये पंचायत द्वारा ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का सम्मेलन कर सभी ग्रामीण सदस्यों के साथ सलाह विचार कर आपदाओं की सूची बनायी जा सकती है और उन अपदाओं के

निपटान के क्या उपाय हो सकते हैं और उन उपायों को किस प्रकार से करना है।

आपदाओं की पहचान योजना निर्माण कियान्वयन निगरानी ग्राम सभा के माध्यम से होना चाहिये क्योंकि गुरिया है मतदाता पंच सरपंच नगीना। अध्यक्ष सदस्य जिला जनपद मिल मुकुट बनो सलीना। ऐसो सुन्दर मुकुट गाँव को इसको स्वर्ग बनाने। ग्राम सभा संसद है गाँव की ग्राम स्वराज के लाने। संविधान न दी जा शक्ति अब ग्रामसभा के लाने।

सम्पर्क सूत्रों की जानकारी आपदाओं विभिन्न प्रकार की हो सकती है और उन आपदाओं से निपटने के लिये विभिन्न प्रकार के विभागों की सहायता उपलब्ध होती है। कैसे उस विभाग से सम्पर्क करना है संबंधित विभाग तथा बचाव दल के पता तथा कान्टेक्ट नम्बर साथ ही किन व्यक्ति से सम्पर्क किस लेवल पर काम करता है इसकी पंचायत में पूरी होनी चाहिये और पंचायत में सार्वजनिक स्थलों पर कान्टेक्ट नम्बर चिपकाये जाने चाहिये।

जैसे अभी कोरोना महामारी में पंचायतों के द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर विभागों के जिम्मेदार कर्मचारियों के कान्टेक्ट नम्बर चिपकाये गये हैं। जिन्हे निर्णय लेने के पावर हैं।

पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण— पंचायत प्रतिनिधियों को संबंधित विषय के विशेषज्ञों से प्रशिक्षण कराये जाने चाहिए ताकि आपदाओं के समय लोग जागरूक रह सकें। उन्हें पर्याप्त जानकारी हो।

**बचाव दल का गठन — पंचायत में बचाव दल का गठन हो क्योंकि जब तक विभाग से सहायता**



मिलेगी तब तक बहुत देर बहुत देर हो सकती। अतः इसके लिये सेवा भाव से कार्य करने वाले लोग हैं यदि उनको प्रशिक्षित किया जाता है जो ऐसे समय गाँव में मदद कर सकते हैं।

**योजनाओं की जानकारी** – विभिन्न विभागों एवं बीमा कम्पनियों द्वारा बहुत सी योजनाएँ होती हैं इसकी जानकारी होने से इसका फायदा पीड़ित लोगों को दिया जा सकता है। इसकी जिम्मेदारी पंचायत की होती है।

**वैकल्पिक संचार प्रणाली** – संचार प्रणाली की आपदा के समय बहुत ही महत्वपूर्ण होती है सही समय पर सही विभाग को सूचना पहुंच जाती है तो आपदा के निपटान में बहुत सुविधा होती है।

**सामुदायिक आपदा प्रबंधन कोष** – कोई आपदा आती है इसके लिये सरकार की तरफ से तथा गाँव वालों की तरफ से भी चंदा के रूप में राहत कोष में राशि जमा की जा सकती है। सरकार भी आपदा कोष में जनता से अपील कर सकती है और जिसमें राशि का व्यय होना है उसे आपदा के निपटान में

कोष की राशि व्यय होती है।

अब हम समझते हैं किस किस प्रकार की आपदाये पंचायत में आती हैं।

**1. बाढ़ की समस्या** – पंचायत को इस समस्या में सबसे पहले बिजली की सप्लाई बंद कर देनी चाहिये क्योंकि बाढ़ के साथ बिजली के करंट बाढ़ के पानी में फैलने से लोगों को दुर्घटना की ज्यादा संभावना अधिक बनती है बाढ़ के समय सुरक्षित स्थान एवं ऊचे स्थान की पहचान कर वहाँ पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहियै एवं पूर्व से ही आवश्यक खाधय सामग्री दवाई आदि की व्यवस्था पहले से ही पंचायत को कर लेनी चाहिये।

**2. भूकम्प आने पर** – यदि भूविज्ञान को आपको जानकारी दी है तो आपको भूविज्ञान को बुलाकर इमारतों के कमजोर हिस्सों को कैसे मजबूत करना है इसका कार्य को प्राथमिकता से करना चाहिये तथा भूकम्प के समय पर्याप्त मात्रा में सेवा दल, डाक्टर की व्यवस्था तथा भोजन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये।





**3. आग लगने पर –** आग जल्दी नहीं बुझती है तो पंचायत को अग्निधापक यंत्रों को बुलाकर आग पर नियंत्रण किया जा सकता है तथा अग्नि कैसे लगती इसकी जानकारी पहले से ग्रामीणों को होना चाहिये।

**4. कोरोना (कोविड-19) के लिए –** आवागमन होने से लोग बाहर से गाँव आ रहे, जा रहे हैं इस कारण बीमारी गाँव में आ रही है। पंचायत को चाहिये बाहर से आने वाले की स्क्रीनिंग कराये और 14 दिन के लिये कोरोनटाइन रखवाये तथा आरोग्य सेतु ऐप मास्क, दो गज की दूरी साबुन से बार-बार हाथ धोना की सेनेटाइजर, जागरूकता के साथ आयुष काढ़ा जिसमें दालचीनी, सोफ कालीमिर्च एवं तुलसी पत्ती के साथ उबालकर दिन में कई बार इम्युनिटी बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करे। तथा किसी भी प्रकार के लक्षण दिखने पर डरे नहीं, जॉच कराते हुये केयर सेंटर की सहायता ले। साथ में लोगों के रोजगार एवं अन्य खाध सामग्री अनाज हेतु व्यवस्था सुनिश्चित कराये। इसी प्रकार मलेरिया प्लेग डायरिया आदि बीमारियां में भी पंचायत की जिम्मेदारी होती है।

**5. जानवरों की बीमारी –** जानवरों में बहुत सी बीमारियाँ होती हैं जानवरों के मुख्य खुर पका मुह

पका रोग हो जाते हैं, पशुपालन विभाग से सम्पर्क कर पंचायत की समय रहते सहायता लेनी चाहिये।

**6. फसल की बीमारी –** गाँव की अधिकतर आवादी फसल पर निर्भर होती है फसलों में जो नुकसान होता है वह ही वास्तव गाँव के व्यक्तियों का नुकसान होता है। अगर फसल होती है, यदि कोई बीमारी लगती है तो कृषि विभाग से सलाह लेकर उससे निपटना है तथा फसल खराब हो गई तो बीमा कम्पनियों से किस प्रकार उसकी फसलों की क्षतिपूर्ति कैसे करे पंचायत को करना चाहिये।

**7. सड़क दुर्घटना से बचाव –** सड़क दुर्घटनाओं बहुत सारी होती है पहले देखना है कि यदि सड़क दुर्घटना हो गई तो बचाव का कार्य सहायता कर संबंधित को अस्पताल पहुंचाये। एक बीमा कम्पनियों से सहायता दिलवाये दूसरी बात यदि वाहन चलाने का पूर्व यदि प्रशिक्षण पर्याप्त हो जावे तो दुर्घटना आदि में काफी हद तक कमी आवेगी यह पंचायत को कदम उठाना चाहिये।





**8. मकान गिरने पर –** मकान गिर जाने पर प्राथमिकता उस व्यक्ति को उसे रहने के व्यवस्था करावे तथा जीवन बीमा की तरफ से भी व्यवस्था रहती है इसलिये पंचायत को मकान एवं सम्पत्तियों का बीमा अवश्य कराने हेतु लोगों को जोड़ना चाहिये तथा शासकीय योजना पीएमएवाय से आवास दिलवाये।

**9. उधोग से दुर्घटनाएं –** उधोग धंधो से भी बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं जिस पंचायत में उधोग धंधे चलते हैं तो उधोग धंधो का बीमा होना चाहिये तथा ऐसा पदार्थ निकलता है जो दुषित है तो पंचायत को इसकी व्यवस्था हेतु तैयारी करना चाहिये।

**10. बिजली गिरने की आपदा –** बिजली गिरने से



आपदा आती है तो पंचायत को विधुत विभाग से सम्पर्क कर सहायता लेनी चाहिये तथा योजनाओं का लाभ दिलाना चाहिये।

**11. हिंसक जानवरों से बचाव –** पंचायत को चाहिये हिंसक जानवरों के प्रति लोगों को जागरूक बनाये। पंचायत को वन विभाग से सम्पर्क कर उससे सहायता करनी चाहिये। जिसमें उस जानवर को भी नुकसान न हो न किसी व्यक्ति को यह पंचायत को इसकी व्यवस्था करना चाहिये।

**12. दंगा फसाद पर –** कहीं यदि दंगा फसाद होता है या कोई धार्मिक उन्माद होता है या राजनैतिक विद्वेष होता है तो इस प्रकार किसी अफवाह के कारण है तो पंचायत को उन दोनों पक्षों में समझौता कराना चाहिये यदि हालात बिगड़ते हो प्रशासन पुलिस को सूचित करना चाहिये यह पंचायत की जिम्मेदारी बनती है।

**13. अंधेरे विश्वास पर –** यह गाँवों की बहुत बड़ी समस्या है पंचायत में जो लोग रहते हैं उन्हे कोई बीमारी है तो भूतप्रेत न समझा जावे अस्पताल में पर्याप्त दवाई कराये जावे। यदि कोई कुप्रथा अभी चल रही है जैसे वलि देना, जंगल जला देना आदि ऐसी समस्या पंचायत को अपने स्तर से नियम बनाकर निपटान करना चाहिये।

**14. सूखा अकाल पर –** यदि कभी सूखा अकाल पड़ता है तो इसके लिये पंचायत को आपदा राहत कोष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत लोगों का काम देकर सहायता करनी चाहिये।

राजेन्द्र प्रसाद खरे,  
संकाय सदस्य



## मास्टर रिसोस परसन टीम द्वारा कोरोना योद्धाओं का किया स्वागत एवं सम्मान

जिला रायसेन के सिलवानी में मास्टर रिसोस परसन (एम.आर.पी.) श्री प्रदीप कुशवाह एवं उनकी टीम नेहरू युवा केंद्र के विवेकानन्द युवा मंडल बिगवा खुर्द द्वारा कोरोनावायरस जैसी भयंकर बीमारी से युद्ध करते हुए और सभी की जान बचाने के प्रयास कर रहे कोरोना योद्धाओं जैसे डॉक्टर पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, गैस एजेंसी वालों का माला पहनाकर स्वागत एवं सम्मान किया गया।

इस मौके पर अनुविभागीय अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, गैस एजेंसी के संचालक नेहरू युवा केंद्र के केशव रघुवंशी जी एवं उनकी टीम एम.आर.पी बिगबा खुर्द के श्री प्रदीप कुशवाह मुख्य रूप से उपस्थित रहे

सिलवानी में लॉकडाउन के कारण बाहर से आए हुए प्रवासी मजदूरों के लिए एमआरपी एवं उनकी टीम द्वारा मुफ्त में राशन किराना एवं घर में ही



निर्मित मास्क की व्यवस्था की गई एवं प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के लिए एकत्रित राशि का डी.डी.स्थानीय विधायक जी को सौंपा गया।

इस प्रकार मास्टर रिसोस परसन एवं टीम द्वारा सराहनीय कार्य किया गया।



प्रकाश कड़वे  
संकाय सदस्य

